न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 131/2004 दायर दिनाँक 03.09.2004

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. किरणकँवर पत्नी गिरधारीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–बेगसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पूरणाराम पुत्र लादूराम, 2. नानूराम पुत्र लादूराम, 3. घासीराम पुत्र लादूराम, 4. सुगनी पत्नी लादूराम, 5. रामदेव पुत्र बिड़दाराम, 6. केशरदेवी पत्नी बिड़दाराम, 7. मांगूसिंह पुत्र दलसिंह, जाति–राजपूत, समस्त,निवासी–बेगसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. भींवाराम पुत्र खांगाराम नायक, निवासी–बेगसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री समदरसिंह नाथावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रघुवीरसिंह शेखावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 ता 06 तथा 08 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 05.12.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद बेगसर में खसरा नम्बर 133 एवं 184 क्रमशः रकबा 13.09. बीघा एवं 10.08 बीघा कुल रकबा 23.17 बीघा बीघा भूमि स्वर्गीय दलसिंह की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की खेत की भूमि पीढियों से चली आ रही है। उक्त भूमि की खातेदारी भूलवश प्रतिवादीगण 01 ता 06 के नाम से चली आ रही है। नकल खतौनी सम्वत् 2057–2061 पेश है। इस खेताय के पुराने खसरा नम्बर 96 व 131 थे। खसरा मिलान की नकल पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि कभी भी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 एवं उनके पूर्वजों के नाम रही है। उक्त खेताय स्वर्गीय दलसिंह के कब्जाकाश्त में थी वे ही उक्त खेताय में काश्त करते आ रहे है। जब मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट लागु हुआ, तब जो था, उसी के नाम उक्त खेत की खातेदारी दर्ज हो गयी। सहवन से वादग्रस्त खेत की खातेदारी खांगाराम पुत्र केसाराम नायक जो उन दिनों दलसिंह के पास मिलने आता था, के नाम से गलत दर्ज हो गयी। इसकी जानकारी जैसे ही स्वर्गीय खांगाराम को हुई, उसने ग्राम पंचायत बेगसर के सरपंच की मौजूदगी में दिनाँक 23.07.1961 को समझोता पत्र लिख कर दिया कि उक्त भूमि स्वर्गीय दलसिंह के कब्जाकाश्त की भूमि है व उन्हीं की रहेगी, उसका या उसकी आस–औलाद का इसमें कोई हक अधिकार नहीं है न रहेगा। वादी व उसके बढेरे अनपढ एवं भौले–भाले लौग थे।

वादग्रस्त उक्त भूमि सम्वत् 2002 से आज तक निर्विवाद रूप से वादी के बढेरों एवं वादी के कब्जाकाश्त एवं बन्ट की भूमि रही है। सम्वत् 2002 से 2022 तक की गिरदावरी की फोटोप्रतियाँ संलग्न दावा पेश है, जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त खेत स्वर्गीय दलसिंह जो कि वादी के श्वसुर थे, के कब्जाकाश्त की भूमि विगत 60 वर्षों से रही है। मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार विवादित भूमि वादी के कब्जाकाश्त एवं खातेदारी प्राप्त करने की भूमि है।

वादग्रस्त भूमि का हासल भी वादी के श्वसुर दलसिंह ही भरते आये हैं। हासल भरने की रसीदात् संलग्न दावा पेश है।

स्वर्गीय दलसिंह के वारिशान् मांगूसिंह प्रतिवादी संख्या 07 एव गिरधरीसिंह (फौत) की पत्नी किरणकँवर (वादी) है।

स्वर्गीय दलसिंह ने अपने जीवनकाल में अपने कुल खेताय का बन्टवारा कर दिया था। वादग्रस्त खेताय उन्होंने वादी के स्वर्गीय पति गिरधारीसिंह को बन्ट में दे दिया तथा अन्य खेताय मांगूसिंह को बन्ट में दे दिया। अतः वाद पेशगी से 30 वर्ष पूर्व से ही वादग्रस्त भूमि वादी के पति के कब्जाकाश्त व बन्ट में है। वादी के पति का स्वर्गवास वाद पेशगी से 15 वर्ष पूर्व हो गया तब से वादी ज्यादातर अपने पीहर रहती आ रही है तथा वादग्रस्त खेताय की अपने जेठ मांगूसिंह से काश्त करवाती था। वादग्रस्त खेत का कब्जाकाश्त लगभग 60 वर्षों से है। इसलिए घोषणा खातेदारी वादी प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

वादी एक विधवा व कमजोर औरत है जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के पिता लादूराम एवं बिड़दाराम ने बाला–बाला मांगूसिंह के विरूद्ध 183 बी का दावा संख्या 04/99 तहसीलदार डीडवाना के सन् 1999 में पेश किया। उक्त दावे में स्वर्गीय दलसिंह के उतराधिकारी वादी एवं उसका पति होते हुए भी उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया। मांगूसिंह अनपढ व्यक्ति होने से सही पैरवी नहीं कर सके, जिससे उक्त दावा मांगूसिंह के विरूद्ध एकपक्षीय तय हुआ, जिसकी अपील की एबेट हो चुकी है। उक्त दावा मे वादी को न तो पक्षकार बनाई गयी एवं न ही वादी से कब्जा प्राप्त करने का दावा ही प्राप्त किया गया। अतः उक्त वाद व निर्णय दिनाँक 01.06.2000 वादी के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–131/2004
दायर दिनाँक 03.09.2004, निणर्य दिनाँक 05.12.2017
किरणकँवर बनाम् पूरणाराम, वगैरा।

प्रति बेअसर व शून्य है। उक्त वाद की आड़ में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 विवादित खेत का कब्जाकाश्त वादी से प्राप्त करना चाहते हैं। कब्जा सौंपे जाने का एक नोटिस एवं निर्णय दिनाँक 01.06.2000 की आड़ में प्रतिवादीगण वादी के कब्जाकाश्त करने पर आमादा होने से वादी को यह दावा पेश करना लाजमी आया है। उक्त वाद सन् 1999 में पेश हुआ तथा कब्जा हेतु तहरीर आदेश दिनाँक 01.07.2004 को जारी हुआ तब ही वादी को इस गलत खातेदारी की जानकारी हुई। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में सफल हो जाते हैं तो वादी को अजहद नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगा।

वादग्रस्त भूमि वादी के कब्जाकाश्त की रही है तथा उक्त भूमि वादी के बन्ट में आयी है परन्तु गलत खातेदारी की आड़ में सन् 1999 में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के पिता लादूराम एवं बिड़दाराम द्वारा कब्जा प्राप्त करने का दावा पेश करने व उक्त दावा के निर्णय हेतु आड़ में दिनाँक 01.07.2004 को कब्जा प्राप्त करने हेतु तहसीलदार डीडवाना द्वारा जारी तहरीर एवं वादग्रस्त भूमि वादी के बन्ट की भूमि होने से बिनाय दावा बमुकाम बेगसर पैदा हुआ। वादग्रस्त भूमि के कब्जा के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण ने एक फौदजारी मुकदमा भी किया, जिसमें वादी का जेठ बरी हो चुका है, उक्त निर्णयानुसार वादग्रस्त खेत वादी का पीढियों से है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद बेगसर में खसरा नम्बर 133 व 184 क्रमशः रकबा 13.09 बीघा व 10.08 बीघा की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02, 07 व 09 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 04, 05, 06 व 08 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। वाद में निम्न विवाद्यक तय किये गये:–

1. आया वादग्रस्त खसरा नम्बर 133, 184 की आराजी स्वर्गीय दलसिंह व वादी की पुश्तैनी है, –वादी।
2. आया विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 का कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है, –वादी।
3. आया विवादित आराजी से सम्बन्धित समझौता दिनाँक 23.07.1961 के माफिक कब्जाकाश्त अधिकार वादग्रस्त आराजी पर वादी का है, –वादी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

4. आया प्रकरण संख्या 4/99 बिड़दाराम बनाम् मांगूसिंह न्यायालय तहसीदार डीडवाना अन्तर्गत धारा 183 बी निर्णय दिनाँक 01.06.2000 वादी के अधिकारों के प्रति बेअसर व शून्य है,

–वादी।

5. आया विवादित आराजी पर 19–20 वर्षों पूर्व मांगूसिंह ने लाठी के बल अतिक्रमण कर काबिज रहे हैं,

–प्रतिवादी।

6. आया वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण जवाबदेहन्दा खोतदार हैं,

–प्रतिवादी।

7. आया विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण जवाबदेहन्दा दिनाँक 11.08.2004 से काबिज है,

–प्रतिवादी।

8. आया प्रतिवादीगण जवाबदेहन्दा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 07 से 50000/– हर्जे के पाने अधिकारी है,

–प्रतिवादी।

9. अनुतोष?

वादी के दस्तावेजी साक्ष्य में, वादी किरणकँवर पत्नी गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी बेगसर व प्रहलादसिंह पुत्र छोगसिंह जाति राजपूत उम्र–60साल निवासी बेगसर व भँवरलाल पुत्र छगनलाल जाति नाई उम्र–60साल निवासी बेगसर के प्रार्थना–पत्र, अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के पेश किये गये।

प्रतिवादीगण के दस्तावेजी साक्ष्य में, रामेदवाराम पुत्र स्वर्गीय बिड़दाराम जाति नायक निवासी बेगसर व पूर्णाराम पुत्र लादूराम जाति नायक उम्र–50साल निवासी बेगसर व भींवाराम पुत्र खांगाराम जाति नायक उम्र–66साल निवासी बेगसर के शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के पेश हुए।

वाद में साक्ष्य वादी का अवसर बन्द किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में DW–01, पूर्णाराम पुत्र लादूराम जाति नायक निवासी बेगसर का शपथ–पत्र व DW–02, भींवाराम पुत्र खांगाराम जाति नायक निवासी बेगसर का शपथ–पत्र पेश किये गये हैं। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किया गया।

वाद के संलग्न, कार्यालय तहसीलदार डीडवाना द्वारा अन्तर्गत 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत्, जारी पत्र पत्रांक 102 दिनाँक 23.02.2004 प्रेषित मांगूसिंह पुत्र दलसिंह जाति राजपूत, साकिन बेगसर की छायाप्रति, खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम बेगसर तहसील डीडवाना सम्वत् 2010 तथा 2017–18 की छायाप्रति, प्रतिवादीगण द्वारा वादी पक्ष पर एस.सी.एस.टी. एक्ट 3(1) के तहत् मुकदमा के सम्बन्ध में ग्राम बेगसर के निवासियों का शपथ–पत्र लिखित दिनाँक 18.08.2003 की छायाप्रति, मिलान क्षेत्रफल मौजा बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति, रसीद (तीसरीप्रति) की छायाप्रति, जमाबन्दी गाँव बेगसर सम्वत् 2059–2062 खेवट संख्या 129/122 की प्रमाणित प्रतिलिपि,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

ग्राम बेगसर के खसरा नम्बर 133 व 184 की मौका रिपोर्ट की छायाप्रति, खांगाराम पुत्र केसाराम द्वारा किया गया राजीनामा की छायाप्रति, वादी किरणकँवर द्वारा किशोरसिंह के पक्ष में लिखित खास मुख्त्यारनामा की छायाप्रति, पेश है।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त खेती की खातेदारी शुरु से ही प्रतिवादीगण की रही है तथा उक्त खेती पर प्रतिवादी सं0 07 ने 19–20 वर्षो से कब्जा कर रखा था जिसका कब्जा तहसीलदार डीडवाना द्वारा दिनांक 11.08.2004 को धारा 183 बी की कार्यवाही कर प्रतिवादीगण सं0 01 ता 06 को दिलाया गया था। प्रतिवादीगण उक्त जायगा पर मय ढाणी सपरिवार निवास कर रहे है तथा काश्त कर रहे है। अतः वादिनी का वाद मय खर्चा खारिज किया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

उक्त जायगा पर वादिनी द्वारा कब्जा किया गया है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की जायगा पर स्वर्ण व्यक्ति द्वारा कब्जा करना कानूनन अपराध है। अतः वादीनी का वाद आधारहीन व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

विवादित जायगा पर वादिनी द्वारा कब्जा किया गया है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की जायगा पर स्वर्ण व्यक्ति द्वारा कब्जा करना कानूनन अपराध है। अतः वादीनी का वाद आधारहीन व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 05.12.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 131/2004 दायर दिनाँक 03.09.2004

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. किरणकँवर पत्नी गिरधारीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–बेगसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पूरणाराम पुत्र लादूराम, 2. नानूराम पुत्र लादूराम, 3. घासीराम पुत्र लादूराम, 4. सुगनी पत्नी लादूराम, 5. रामदेव पुत्र बिड़दाराम, 6. केशरदेवी पत्नी बिड़दाराम, 7. मांगूसिंह पुत्र दलसिंह, जाति–राजपूत, समस्त,निवासी–बेगसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. भींवाराम पुत्र खांगाराम नायक, निवासी–बेगसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक 05.12.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री समदरसिंह नाथावत, अधिवक्ता, वादीनी व श्री रघुवीरसिंह शेखावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 ता 06 तथा 08 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि विवादित जायगा पर वादिनी द्वारा कब्जा किया गया है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की जायगा पर स्वर्ण व्यक्ति द्वारा कब्जा करना कानूनन अपराध है। अतः वादीनी का वाद आधारहीन व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.12.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner